न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 127 / 2018	10—08—2018	04—09—2018

01— विक्रम पुत्र श्री श्योनारायण जाति अहीर निवासी गोकलपुर तहसील,कोटकासिम जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार, कोटकासिम जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार
कोटकासिम दिनांक 26..07.2018
अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम
प्रकरण संख्या 12 / 18

उपस्थितः—

01— कु0 सुषमा शर्मा —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कोटकासिम के आदेश दिनांक 26.07.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम गोकलपुर की आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 0.23 है०, किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गोकलपुर की आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 0.23 है०, किस्म गैर मुमकिन रास्ता रकबा 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 50 गुना लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट द्वारा किसी भी सरकारी आराजी पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। हमारे शौचालयों को गलत तरीके से तोड़ने के आदेश दिये गये है। ग्राम गोकलपुरा में अपीलान्ट की पुस्तैनी जायदाद स्थित है। जिस पर अपीलान्ट के पिता के वक्त से मकानात बनाये हुए हैं। जिसमें हम तीनों भाईयों का परिवार निवास कर रहा है। उक्त प्लॉट पर मकानात हमारे पिता श्योनारायण ने अपने जीवनकाल में ही बना रखे है। उनके जीवन काल में ही औरतो के लिए शौचालय बनाने के लिए सरकार से हमारी माताजी मोहरादेवी के नाम से लोन मिला जिससे शौचालय बनवाये गये। उक्त आराजी पर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नही किया गया है। वर्तमान में उक्त प्लॉट संतोष, राजबाला व बिमला के नाम है। आबादी भूमि की कोई नाप मुस्तकिल बिन्दु से नही की गई है। वास्तव में मौके पर कोई नपत नही हुई है। गलत तरीके से अपीलान्ट के शौचालय तोडने के आदेश दिये गये है। पश्चिम को जो रास्ता जा रहा है वह 16 फुट नाप का बराबर जारी है। शौचालय मोहरादेवी ने अपने पति की जमीन में बनवायें है जो सरकार से अनुदान पर बने है। मोहरादेवी को कोई नोटिस नही दिया गया है। अतः अधिनस्थ

न्याायलय का आदेश दिनांक 26.07.2018 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत जोडिया पंचायत समिति कोटकासिम द्वारा अपीलार्थी की पत्नी को दिया गया पट्टे से भूखण्ड का साईज उत्तर में 104 फुट 6 इंच, दक्षिण में 104 फुट 6 इंच, पूर्व में 53 फुट तथा पश्चिम में 42 फुट 6 इंच है, जो आबादी भूमि खसरा नं0 81 में दिया गया है जबकि अपीलार्थी का शौचालय गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं0 63 में बने हुए हैं। ग्राम पंचायत को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का पट्टा देने का अधिकार नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह सिद्ध होता हो कि अतिक्रमित आराजी अपीलार्थी को आवंटित की गई हो या उनकी खातेदारी आराजी हो। पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 से भी स्पष्ट जाहिर है कि संतोष पत्नी विक्रम अहीर का शौचालय आराजी खसरा नं0 63 जो गैर मुमकिन रास्ता है में बना हुआ है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार कोटकासिम का निर्णय दिनांक 26.07.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04–09–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)